माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण राजस्व मंडल ग्वालियर (म०प्र०)

A/7-2/R/2/93 RM/7-2/R/1043/93

राजस्व अपील क्र०   ९२-९३

(12)

चन्द्र प्रसाद गुरु गोविन्द दास बैरागी आयु ४०
वर्ष धंधा पूजा वृत्ती निवासी भट्टे के बाला जी
लाल जी की बस्ती महू ---------- अपीलान्ट

विरुद्ध

घनश्याम दास पिता राम किशोर उम्र ८० वर्ष
धंधा भिक्षावृत्ति निवासी जगन्नाथ टेकरी मार्ग
तहसील महू वर्तमान मृत दिनांक १६-२-९३ को वारिस
कोई नहीं गार्जियन ऐडलीटम ---------------- रिस्पान्डेन्ट

द्वितीय राजस्व अपील धारा ४४ म०प्र० भू० राजस्व संहिता के अन्तर्गत।

(अपर आयुक्त श्री चन्द्र कुमार शर्मा इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक ८३-।८७-८८ में दिनांक १४-१२-९२ को पारित निर्णय जिसमें तहसीलदार महू द्वारा अपीलान्ट के पक्ष में पारित नामान्तरण आदेश जिसकी पुष्ठि अनुविभागीय अधिकारी महू द्वारा प्रकरण क्रमांक २२।८७-८८ में दिनांक १६-११-८७ को की गयी थी। अपर आयुक्त महोदय ने दोनों अधिनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश उलट दिये और दोनों न्यायालयों के निर्णय निरस्त कर दिये उससे असन्तुष्ट होकर यह द्वितीय अपील)

प्रकरण के तथ्य :-

अपीलान्ट ने अपने गुरुदेव गोविन्द दास बैरागी की मालकी व स्वत्व का जगन्नाथ मंदिर व उसकी भूमि सर्वे नं० ३५८ क्षेत्रफल ०.१९ हेक्टर को उनकी मृत्यु दिनांक २३-४-८६ के बाद पंजीकृत वसीयत नामे के आधार पर अपने नाम नामान्तरण कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत कि[illegible] जो पंजीकृत किया जाकर विज्ञप्ति प्रकाशित की गई थी। कोई [illegible]

इंद्रप्रकाश | घनश्याम

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1043/93 जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16–1–2018	प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण में लम्बे समय से आवेदकपक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो रहे है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया गया । संबंधित निगरानीधीन आदेश प्रत्यावर्तन आदेश है । उभयपक्ष को वैसे भी अधीनस्थ न्यायालय में अपनी बात रखने का अवसर उपलब्ध है । अतः उभयपक्ष की अनुपस्थिति व अरूचि के कारण यह निगरानी को चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से निगरानी समाप्त की जाती है । अध्यक्ष	